EDP

रिक्ति परिपत्र

सं. ए/49819/एस-29/मुप्रअ/भर्ती-1

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

कमरा सं. 170, ई-ब्लॉक, दारा शुकोह रोड़
नई दिल्ली-110011
दिनांकः 11 दिसम्बर 2019

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेश के सभी मुख्य सचिव

विषयः- **सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में सुपरवाइजर के एक रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) अथवा आमेलन द्वारा भरा जाना**

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में सुपरवाइजर, (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, गैर-लिपिकवर्गीय), वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-7 में एक रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि अनुबंध सहित) अथवा आमेलन पर निम्नलिखित शर्तो पर भरा जाना हैः

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अधीन अधिकारी जो;

जारी.........2

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हो; अथवा

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-6 अथवा समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद से प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष तक सेवा की हो; और

(ख) जिनकी निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव होः

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय की डिग्री

(ii) सरकारी विभागों के सामान्य प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव

2. <u>सेवा संबंधी विवरणः</u> सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में सुपरवाइजर के पद हेतु नियत कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार से है-

(क) स्वागत अधिकारियों का प्रशिक्षण और उनके कार्य का पर्यवेक्षण/देख-रेख।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों और वहाँ पर सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क करना।

(ग) अधिकारियों और कर्मचारियों को मासिक पास जारी करना।

3. फीडर (संभरक) श्रेणी में विभागीय अधिकारी जिनकी पदोन्नति होने वाली है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के योग्य नहीं माने जाएंगे।

4. इस नियुक्ति से ठीक पहले, केन्द्र सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन या विभाग में संवर्ग-बाह्य पद पर प्रनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध सहित) सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था.(वेतन-II) दिनांक 17 जून 2010 और इसके उत्तरोत्तर संशोधनों, यदि कोई है, के द्वारा शासित होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि चयन होने पर जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा सके, उनके पिछले पांच वर्षों के पूर्ण और अधतित गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट की फोटोप्रतियां (केवल अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित) और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र (केवल उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित) के साथ संलग्न प्रपत्र में आवेदन (दो प्रतियों) में भेजा जाए ताकि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन के <u>60</u> दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्राप्त हो जाए। **<u>विलम्ब से प्राप्त होने वाले अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, संवर्ग/सतर्कता से अनापत्ति अथवा किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं</u>**

जारी……..3

किया जाएगा। आवेदन-पत्रों को अग्रेषित करने के दौरान, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी द्वारा प्रदत्त विवरण सही है एवं अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित नहीं है। यह भी अनिवार्य रुप से प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी की सत्यवादिता/ईमानदारी और सत्यनिष्ठा संतोषजनक है एवं उसे पिछले दस वर्षों के दौरान कोई भी गंभीर/मामूली दंड नहीं दिया गया है।

6. जीवन-वृत्त संबंधी प्रोफॉर्मा हमारी वेबसाइट www.caomod.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

नोटः- पद के लिए एक बार आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

भवदीय

(जेड एस कोईरेंग)
उप निदेशक
मुप्रअ/भर्ती-1 एवं 3
कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रतिलिपिः

एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) के सभी समन्वय अनुभाग
एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (वायुसेना)/ वायुसेना मुख्यालय/पीसी-1
एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), प्रशासन निदेशालय
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग
संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ कार्यालय के सभी अनुभाग
मुप्रअ/का-2
मुप्रअ/ईडीपी